



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251126
CG-DL-E-04012024-251126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945

No. 06]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 07(अ).—जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 21 सितंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 688 (असा.) के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) में संशोधन के लिए कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 28 सितंबर, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाए।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(झ) पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2023 के अधिसूचना संख्या सीडीएन-11017/58/2021-समन्वय-डीडीडब्ल्यूएस, के माध्यम से दिव्यांगजनों और सुगम्य चुनौतियों वाले अन्य जनसंख्या समूहों के लिए सुगम्यता और समावेशी पाइप से जल आपूर्ति दिशानिर्देश को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है।”

“(ञ) पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2023 के अधिसूचना संख्या एस-18012/5/2021-एसबीएम-डीडीडब्ल्यूएस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के लिए सुगम्यता मानकों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है।”

[सं. 38-06/2023-डीडी-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 16 नवंबर, 2023 की सा.का.नि. 849 (अ) के जरिए पिछली बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2024

G.S.R. 07(E).—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification of the Government of India the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities number G.S.R. 688 (E), dated the 21st September 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 28th September, 2023;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

“(i) guidelines on accessible and inclusive piped water supply for persons with disabilities and for other population groups with access challenges, as specified in the notification of the Department of Drinking Water and Sanitation, Government of India *vide* notification number CDN-11017/58/2021-Coordination-DDWS, dated the 2nd August, 2023.”

“(j) accessibility standards for community toilets in Rural areas, as specified in the notification of the Department of Drinking Water and Sanitation, Government of India *vide* notification number S-18012/5/2021-SBM-DDWS dated the 4th August, 2023.”

[No. 38-06/2023-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591(E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 849(E), dated the 16th November, 2023.